Impact Factor 2.147

ISSN 2349-638x

Reviewed International Journal

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (AIIRJ)

Monthly Publish Journal

VOL-III ISSUE-VII July 2016

Address
•Vikram Nagar, Boudhi Chouk, Latur.
•Tq. Latur, Dis. Latur 413512
•(+91) 9922455749, (+91) 9158387437

Email
•aiirjpramod@gmail.com

Website
•www.aiirjournal.com

CHIEF EDITOR – PRAMOD PRAKASHRAO TANDALE

राकेशजी की कहानियों मे विवाह विघटन

डॉ. ईश्वरप्रसाद रामप्रसादजी बिदादा
दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय, लातूर

व्याख्या -

विवाह यौन-सम्बन्धों को नियंत्रण करनेवाली एक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सन्तानों को जन्म देना और समाज की व्यवस्था बिगडने नहीं देना। पाश्चात्य विचारक लोई के अनुसार - **"विवाह उन स्वीकृत संघो को प्रकट करता है, जो यौन सन्तुष्टि के पश्चात भी स्थिर रहता है। तथा पारिवारिक जीवन का आधार बनाता है।"** हैवलॉक एलिस के अनुसार **"विवाह जीववैज्ञानिक अर्थ में और कुछ हद तक सामाजिक अर्थ में स्थायित्व की आकांक्षा से अपूरित मौन सम्बन्धो की स्थापना है।"** सारोकिन नामक विद्वान के अनुसार **"विवाह पूर्ण प्रेम के प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन की परम सन्तुष्टियों की दिशा में एक दृढ कदम है।"** विवाह के बाद कोई भी अजनबी स्त्री-पुरुष खुलकर मिल सकते है। अलग-अलग धर्मो की विवाह की अलग-अलग पध्दतियाँ है। हिन्दू विवाह पध्दति में होम, पाणिग्रहण, सप्तपदी आदि पवित्र कार्यों के साथ अग्नि को साक्ष मानकर विवाह किया जाता है। दुनिया भर के कानून सुनाए जाते है। जिसका शायद ही कोई पालन करता हो।

विवाह का आशय केवल शारीरिक सम्बन्ध नहीं है अपितु दो परिवारों का मेल है। आज की नयी पीढी विवाह को सामाजिक कम व्यक्तिगत अधिक मानती है। आज विवाह एक समझौता है। जब तक चला चलाया जाएगा, अन्यथा टूट जायेगा। नयी पीढी विवाह के अनावश्यक टीम-टाम के विरुध्द है। सामंतों की तरह फौज फाटा लेकर लडकीवालों से चौथ वसुलने को विवाह नही कहते।

मोहन राकेश की जिन्दगी में विवाह को कोई महत्व नहीं रहा। माता के कारण पहला विवाह हुआ। उसे छोड दिया। दूसरी तो ऐसी मिली जो उन्हे कोर्ट तक ले गयी। चौथी अनिता उनसे २० साल छोटी थी पर उसने निभाया। इसलिए किसी कहानी में विवाह का जिक्र नहीं है। अधिकांश कहानियाँ व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर लिखी गयी है। जो वैवाहिक सम्बन्ध भी हैं तो उनके प्रति कोई आस्था नहीं है।मनुस्मृति के अनुसार - जो पत्नी मन, वचन और देह से पति के विरुद्ध कभी कोई आचरण नहीं करती वह इस लोक में पतिव्रता कहाती हुई परलोक में पति के साथ स्वर्ग सुख भोगती है । पति के विपरीत व्यभिचार करने वाली स्त्री निन्दा को प्राप्त होती है । आगे उन्होंने आचरण संहिता के नियम बताते हुए कहा था कि विवाह के पश्चात् स्त्री -पुरुष दोनों ही सदैव यह यत्न करें कि धर्म, अर्थ और काम के विषय में कभी कोई पृथक् आचरण न करें । पतिव्रता का आदर्शपालन करने के हेतु मनु ने छह दोषों से उसे बचने के लिए कहा था । कारण नारी का मूल स्वभाव ही ऐसा है कि वह न रुप देखती है न गुण । अतः उसे चाहिऐ कि वह मद्यपान,दुष्टसंग, पतिवियोग, एकाकी भ्रमण,असमय

में शयन और पराये घर में निवास न करें । पति-पत्नी की व्याख्या में वे सारी बातों का जिक्र है जो पुरानी मान्यताओं के अनुकूल रही हैं ।

पति

पिछले दो हजार वर्षों से हिन्दू परिवार में पति का स्थान सर्वोच्च रहा है । पति की प्रभुता का विकास तीन अवस्थाओं से गुजरा है । एक सखा युग, दूसरा गुरु युग और तीसरा देवता युग । नये कानून से देवता युग का अन्त होकर फिर समानता की पहली दश स्थापित हुई है । पति की प्रभुता के कारणों में पुरुष का शारीरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशली होना है । दूसरा कारण नारी की समर्पण की भावना है । वैसे पत्नी की आर्थिक पराधीनता, पिता की प्रभुता, स्त्री के सम्बन्ध में समाज के हीन विचार और स्त्रियों की अशिक्षा भी पति की प्रभुता के लिए कारणीभूत है । कन्या दान की प्रथा ही प्रभुता की स्वीकृति है । प्राचीन युग में तो पत्नी का वध करने का, उसे बेचने का, पीटने का और दूसरा विवाह करने का पुरुष को अधिकार था । मनु ने तो पति को कई अधिकार दिये थे । पत्नी यदि पति से द्वेष करे, शराबी या रुग्ण पति की सेवा न करे तो उसके आभूषण छीनकर उसका त्याग किया जा सकता था । उसे सन्तान न हो तो त्यागने का पूरा अधिकार पति को था ।

जीवशास्त्रीय दृष्टिकोण से पति को पत्नी का भरण एवं रक्षन करना चाहिए । मनु के अनुसार मनुष्य अपनी पत्नी की रक्षा से अपने पुत्र, चरित्र, कुल, आत्मा तथा धर्म की रक्षा करता है । अत्यन्त क्रुद्ध होने पर भी पति को पत्नी का अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि रति, प्रीति और धर्म पत्नियों के हाथ में है । किन्तु उसके इशारों पर भी नाचना ठीक नहीं है । पूरे रुप में उसके वश में होना भी ठीक नहीं । कारण पुरुष इन्द्रिय लोलुप या कामाशक्ति के कारण ऐसा कर सकता है । आज जमाना बदल गया है । स्त्रियों मे शिक्षा का प्रचार होने से वे पति को देवता नहीं स्वीकार करती । आजीविका की स्वाधीनता से पति प्रभुत्व कम हो गया है ।

पत्नी

पत्नी ग्रहस्थ का मूल है । वैदिक युग से उसे घर की आत्मा और प्राण समझ जाता रहा है । ऋग्वेद के अनुसार पत्नी ही घर है । गृहिणी घर अरण्य सदृश्य है । संसार में पत्नी के समान कोई बन्धु, आश्रय या धर्म कार्य में सहायक नहीं है । वैदिक युग में हिन्दू परिवार में पत्नी का स्थान बहुत ऊँचा था । उसे घर में रानी की तरह रहने का आशीर्वाद दिया जाता था । किन्तु श्रृंगार शतक में नारी संसार सागर में मनुष्यरुपी मछलियों को फँसाने का काँटा समझी जाती रही । ऊपर से अमृतमय और भीतर से विषमय तथा प्राणियों को बाँधने का पाश मानी जाती रही । हितोपदेश के अनुसार नारी कभी पतिव्रता नहीं रह सकती । वह केवल अपना सुख चाहती है । वह मन्द बुद्धि होती है । नारियों का आहार दुगना, बुद्धि चौगुनी, साह छह गुना और कामभाव आठ गुना होता है । शास्त्रकारों ने तीन कारणों से नारी को अस्वतन्त्र बनाया था । पहला अपनी आत्मरक्षा में वह असमर्थ थी । दूसरा वह आर्थिक परावलम्बी थी और तीसरा पुरुषों की उपेक्षा उस पर सतीत्व का बन्धन था । मनु के अनुसार पत्नी में चार बातें होनी चाहिए - वह सदैव हँसमुख रहे, गृहकर्यों में दक्ष हो, घर की सब चीजें साफ सुथरी रखे और अपव्ययी न हो । पत्नी के उत्तम आचरण में पति के न कहे जाने पर घर से बाहर न निकलना, जल्द न चलना, संन्यासी, बूढे या वैद्य के अतिरिक्त किसी से न बोलना,

नाभी को न दिखाना, स्तन अनाबूत न करना, जोर से न हँसना, नर्तकी, प्रेमियों से मिलने वाली दुःशीला नारियों के साथ न रहना, दिन में न सोना, दूसरों के घरों में न रहना आदि बताया गया है। शंख के मतानुसार नारी को व्रत, उपवास, यज्ञ दानादि से वैसा फल नहीं मिल सकता जैसा पति सेवा से ।

प्रेम स्वभावत ईर्ष्यालु होता है । अतः पुरुष अपने प्रेमपात्र पर एकाधिकार चाहता है । इसीलिए वह पत्नी पर सतीत्व का बन्धन लगाता है । पुरष का व्यभिचार छिप सकता है किन्तु पत्नी का नहीं । यदि पुरुष दुःशील हो तो वही अकेला बदनाम होता है किन्तु नारी पति और पिता दोनों को कलंकित करती है किन्तु, पातिव्रत्य का एकांगी आदर्श पिछले हजारों वर्षों से हिन्दू परिवार में सर्वमान्य है । पतिव्रता नारियों की तुलना में हमें पत्नीव्रत पतियों के बहुत कम दर्शन होते हैं । फिर भी शास्त्रकारों ने पत्नियों की भरपेट निन्दा की है । किन्तु आज वह सारा रुप बदल गया है । अधिकांश कहानियों में अपने अधिकारों के प्रति लड़नेवाली नारियों के ही दर्शन हमें होते हैं ।

अधिकतर पुरुष इस बात को नहीं समझते कि विवाह के बाद भी पत्नी को रिझाने की आवश्यकता होती है । पत्नी का अर्थ यह नहीं कि जब जी में आया, उसकी इच्छा हो या न हो, समागम कर लिया । अत्यधिक विवाह के रास्तें मे एक और कठिनाई है । यदि व्यक्ति से कहा जाय कि अमुक से प्रेम करो तो वह घृण करने लगेगा । प्रेम कर्तव्य है कहना ही प्रेम का हनन करना है । विवाह में प्रेम और कानूनी बन्धन दोनों होने से उसकी सफलता में आशंका बनी रहती है । विवाह सर्वोत्तम एवं महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध तभी माना जायेगा जब दम्पत्ति में पूर्ण समानता की भावना हो। पारस्परिक स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप न करे । सम्बन्धों में सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक प्रगाढ़ता हो ।

नैतिकता का तकाजा यह है कि पत्नियों से उनके सतीत्व की माँग की जाय । पुरुष को विश्वास हो कि बच्चा उसी का है । सेक्स सम्बन्धी पुस्तकों पर कड़ा सैंसर लगा दिया जाय। युवतियों से ऐसे अवसर छीन लिएजायँ जिनके तहत वे पुरुषें से मिलती हैं । घर से बाहर जाक आजीविका कमाने के काम से उन्हें रोक दिया जाय। अविवाहित नारियों की प्रतिमास डाक्टरों से जाँच पड़ताल करायी जाय । गर्भनिराधकों का प्रयोग रोक दिया ।किन्तु यह सब हो नहीं सकता । नयी नैतिकता के नाम पर नारी-पुरुष जो चाहें कर रहे हैं । आचरण संहिता ग्रंथों में बन्द है । अतः पति-पत्नी के सम्बन्धों को निम्न कुछ कहानियों में अलग-अलग कोनों से देखा जा सकता है ।

परिवार के कारण पति-पत्नी का मिलना असम्भव

महानगर में स्थानाभाव के कारण पति-पत्नी मिल नहीं पाते । प्यार करना चाहते हैं, कर नहीं सकते । अतः मौका मिलते ही, फिर वह चाचा की मौत पर मातम मनाने जाना क्यों न हो, घर से बार निकल जाते हैं । जा रहे हैं मात मनाने किन्तु पिकनिक मूड में शहर में घूम आते हैं और अपना गृहस्थ जीवन का प्यार पा लेते हैं । उन्हें घर में मिलने के लिए जगह न होने से मौके का फायदा उठाकर साथ हो लेते हैं ।

शिक्षित पत्नी : सेक्रेटरी के रुप में पति

शिक्षा ने नारी का दर्जा ऊँचा कर दिया है । वह शिक्षा और रुप के बलबूते पर ऊँची से ऊँसी पोस्ट पर जा सकती है । विधवा होने पर मृत पति के विषय में सोचते हुए रहना गुजरे जमाने

की बात है । पहले के पति जब कम या कमसिन उम्र की लड़कियों से विवाह करते थे तब आज की कामकाजी महिला कम उम्र के जवान के साथ क्यों नहीं शादी कर सकती ।

अशिक्षित पति और शिक्षित पत्नी

अभी तक अधिकांश शिक्षित पतियों को अशिक्षित पत्नियाँ मिली थी । अब युग बदल गया है । महिलाओं ने अधिक शिक्षा प्राप्त की है और अधिक अवसर भी । कुछ-कुछ स्थानों पर पुरुष महिलाओं से पिछड़ गया है । कुछ कहानियाँ इस तरह की मिली हैं जिसमें पति को पत्नी के समान ट्रीट किया है । पति की उन्नति के लिए पत्नी पायदान बनती है किन्तु उसका सारा त्याग पति को मातृत्व के समान लगता है ।

अर्जिका पत्नी और बेकार पति

पति की नौकरी जब छूट जाती है तब उसे दूसरी नौकरी आसानी से नहीं मिलती । किन्तु शिक्षित पत्नी को रुप के सहारे नौकरी आसानी से मिल सकती है । बेकार होने की मानसिकता पति के सारे उत्साह को समाप्त कर देती है । उसे लगता है कि पत्नी को चूमने का तक उसे अधिकार नहीं है । घर का साराकार्य ऐसे ही करना पड़ता है । कामकाजी महिला काम-सम्बन्धों में धीरे-धीरे उतनी ठंढी हो जाती है कि पति को लगता है कि वह किसी लाश के साथ समागम कर रहा है ।

कामकाजी पत्नी और पति

कामकाजी पत्नी वरदान भी है और अभिशाप भी । उसके रखरखाव पर मुग्ध होकर यदि कोई उससे विवाह कर लेता है, तो उस पर बाद में टिपण्णी करने का उसे अधिकार नहीं रहता । वह उसके साथ घूमने-घामने गयी हो तो उसे फिर दूसरों के साथ घूमने न जाने देने का अधिकार नहीं रहता । आधुनिकता के नाम पर जो चाहे कर लो किन्तु जब पुराने संस्कार जागते है तब बर्दाश्ता करना मुश्किल होता है । जिन्दगी बोझ लगने लगती है । उसका वेतन तो अच्छा लगता है फिर उसकी स्वतन्त्रता को भी स्वीकारना चाहिये । केवल तीहरी भूमिका के बोझ तले उसे कुचलना ठीक नहीं ।

नयी नैतिकता : वैवाहिक जीवन

नयी नैतिकता का तगाजा है कि पति-पत्नी में कोई दुराव-छिपाव न हो । सुहागरात के दिन भी पति अपनी पत्नी से पूछता है कि वह उसके पहले कितनों के साथ सोई है । उसका साथ सोने वालों का अकाउंट जानकर भी वह माइंड नहीं करता । परिवार नियोजन के नुस्के इस्तेमाल न करने पर वह उस पर फाँसने का आरोप लगाती है जैसेवहउसकी पत्नी न होकर कोई प्रेयसी हो । दोनों को एक दूसरे पर शक है किन्तु स्वतंत्रता का दंभ करते हैं । कई पति तो पहले ही बता देतें हैं कि नयी सभ्यता में गैर नारियों से कतराने वाला नपुंसक कहलाता है, अतः वे तो सम्बन्ध रखेंगे ही । रुपसी पत्नी को गैरों की बाहों में देखकर पति प्रसन्न होता है । सीता की पवित्रता का मिथ तोड़ दिया है । बेरोजगार पति अपनी ही पत्नी की नंगी-अधनंगी तस्वीरें निकालकर बेचने पर मजबूर है । ये

जानकर कि यह सन्तान उसकी नहीं जारज है, पति चुपचाप उसे स्वीकारता है आधार लोक कथाओं का लेता है । पत्नी की डिलेवरी करने के हेतु पति डाक्टरनी को लाता है किन्तु रास्ते का सुहाना मौसम देखकर बिना पत्नी के मरने-जीने की चिन्ता किये उसे आलिंगन में बद्ध करता है । बास को पसन्द आने पर अपनी पत्नी पर का अधिकार पति छोड़ देता है उसे आग्रह करता है कि बाँस को लिफ्ट दे ताकि कार खरीदी जा सके ।

पति-पत्नी : काम सम्बन्ध

भारतीय बधुएँ अधिक देर तक प्यार को निभा नहीं सकतीं । प्यार का अर्थ सिर्फ देह का समर्पण ही समझती है । अतः पुरुष जल्दी ही ऊब जाता है । अपनी इस ऊब को मिटाने को वह गैर की देह की खोज में चला जाता है । दाम्पत्य में दरार लाने का अधिकतर कारण पत्नी का ठंडा व्यवहार है । कूछ नारियाँ तो ऐसी है कि पत्नी बनने के बजाय रखै्ल बनकर रहना अधिक पसन्द करती हैं ।

पति-पत्नी : शंक के आधार पर टार्चर

पत्र में लिखे गये किसी भावुक व्यक्ति के विषय में सुनकर पति अपनी पत्नी को एक क्रूर तरीके से परेशान करता है । स्तुति करते हुए रसोइया तथा मेहरी छूड़वा देता है । उसके सौन्दर्य प्रसाधन नष्ट करत देता है । बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज नहीं करवाता । इस प्रकार का पीड़ाजनक व्यवहार पति जब करता है तब उसे भी दुःख होता है किन्तु उसे तो पत्नी के अज्ञात प्रेमी से बदला लेना है ।

पति-पत्नी : मानसिक गुत्थियाँ

कई बार पति पत्नी के बीच के कुछ ऐसे तन्तु टूट जाते है जिनके कारण उनके सम्बन्धों में रुक्षता आ जाती है । अपनी पत्नी की सुन्दरता का बखान तक पति करना नहीं चाहता न उ सके गुणों का उल्लेख । वह जल बिच मीन प्यासी-सी स्थिति में होती है । उसकी स्थिति परिवार में एक निर्जीव वस्तू के समान होती है । कुछ पति अपनी रुग्ण पत्नी की सेवा कर समाज को बताना चाहते है कि वे उसकी यातना से कितने परेशान है । लोग न जानें किन्तु पत्नी उसके इस नाटक को जानती है । सम्बन्धों में जब नाटकीय व्यवहार आता है तब उसके खोखलेपन का अहसास होता है । सेक्स का सर्वथा परित्याग बड़ा कष्टप्रद होता है विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो विवाह के कारण उसका आदी बन गया हो । रुग्णता के कारण यदि पुरुष को इसका त्याग करना पड़े तो वह असमय ही बूढ़ा हो जाता है ।

पति-पत्नी : तलाक

बट्रेंड रसेल का कहना है - **तलाक का ध्येय यह तो कभी नहीं रहा कि वह एक विवाह पर आधारित परिवार का विकल्प बन जाये बल्कि केवल यह रहा है कि जहाँ विशेष कारणों से, विवाह का जारी रहना असहनीय हो जाये, वहाँ इसकी अनुमति हो जिससे कि कष्ट दूर हो सकें** । तलाक के सम्बन्ध में यह विचित्र बात है कि कानून और रिवाज में बहुत अन्तर है । पर-नारी गमन

या पर-पुरुष गमन जैसे कारणों को तलाक का आधार न बनाया जाना चाहिये । पुरुष यदि महीने के बीसों दिन दौरे पर रहे या नारी का पति सेना में होने से वर्ष में एक मास घर आये, ऐसे व्यक्तियों ने यदि किसी परिस्थिति के तहत, किसी से शारीरिक सम्पर्क किया तो उसे क्षमा कर देना चाहिए । तलाक का आधार परस्पर सहमति ही होना चाहिए । ऐसा होने पर भी बरसों बाद पति को पत्नी के सुख दुःख में शामिल होने की इच्छा होती है । तलाक शुदा पति-पत्नी बरसों बाद यदि मिल जायें तो उनकी मानसिक उथल-पुथल की कुछ कहानियाँ हमें मिली है । तलाकशुदा बीबी को पति चाहकर भी अपने साथ कानूनन रख नहीं सकता ।

पति-पत्नी : द्विभार्या

पहली पत्नी जिन्दा होने पर दूसरी से शादी करने का पुरुष का कोई अधिकार नहीं । किन्तु यदि कोई धोखे से कर लेता है तब उस दूसरी पत्नी की मानसिकता विचारणीय होती है । उसके स्पर्श में उसे सौत के स्पर्श की गन्ध आती है । अपनी सन्तान को उसका परिचय वह उसका कोई नहीं कहकर सम्बोन्धित करती है ।

संदर्भ ग्रंथसुची

Lowie - Marriage - Encyclopaediaa of social science X
मोहन राकेश - मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ - अपरिचित
मोहन राकेश - एक-एक दुनिया - मि. भाटिया
मोहन राकेश - एक-एक दुनिया - आखिरी सामान
मोहन राकेश मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ - उर्मिल जीवन
मोहन राकेश मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ - एक और जिन्दगी.
मोहन राकेश - मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ - पहचान